न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 81/2026

01. अब्दूल खां पुत्र साहू खां जाति मुसलमान निवासी लूणखां हाल चक 7 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

.....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । ....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :—17.04.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी व वादी के सहिस्सेदारान के नाम से चक 7 केएलडी के मु0नं0 18/10 के किलानं0 11 ता 20 में कुल 2.4532 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रकबा में वादी व वादी के सहिस्सेदारान को जरिये विरासतन/हकत्याग प्राप्त हुई है। वादी व वादी का परिवार ज्यादा पढा लिखा नहीं है। वादी व वादी के परिवार के नाम भूमि दर्ज विरासतन करते समय सहवन से वादी का नाम अधूरा अब्दू खां राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जबकि वादी का पूरा नाम अब्दूल खां है। वादी की उक्त भूमि विरासतन व हकत्याग का नामान्तरण दर्ज होने के बाद वादी द्वारा अपनी उक्त भूमि का खाता विभाजन व केसीसी के लिए राजस्व रिकॉर्ड पटवारी से लिया गया तो जानकारी में आया की उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अधूरा अब्दू खां दर्ज है। इसलिए ना तो वादी की उक्त भूमि का खाता विभाजन हो रहा है और ना ही उक्त भूमि पर केसीसी व अन्य राज्य सरकार व केन्द्र के राजस्व रिकॉर्ड में पहचान के दस्तावेजों के आधार पर घोषणात्मक दुरूस्ती करवाने के विधिक अधिकारी है। वादी अपने उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अब्दू खां की बजाय अब्दूल खां की घोषणा करवाकर दुरूस्त करवाना चाहता है। जिसका वादी विधिक अधिकारी है। अतः घोषणात्मक वादी पेशकर निवेदन किया है कि वादी के नाम से चक 7 केएलडी मु0नं0 18/10 के किला नं0 11 ता 20 में कुल 2.4532 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि में वादी के हिस्से आई 1/3 हिस्सा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अब्दू खां के बजाय अब्दूल खां की घोषणा कर दुरूस्त कर अंकन करने के आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, राशनकार्ड की प्रति व सहिस्सेदार मुमताज खां पुत्र साहू खां का शपथपत्र प्रस्तुत जिसके अनुसार अब्दू खां सहवन से उक्त भूमि में दर्ज हो गया था। अब्दू खां ही अब्दूल खां है। कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। अगर कोई अन्य व्यक्ति पाया जाता है तो तमाम जिम्मेदारी मुझ मिकर की होगी। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अब्दू खां से अब्दूल खां किया जाता है तो मेरी पूर्ण सहमती है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य—सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 7 केएलडी मु0नं0 18/10 के किला नं0 11 ता 20 में कुल 2.4532 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/वादी का नाम अब्दू खां की

जगह अब्दूल खां संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच अब्दू खां नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का अब्दू खां से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी/वादी का नाम अब्दू खां ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 17.04.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)